न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या— 14 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कानाराम पुत्र केसूदास जाति साद निवासी भावी तहसील बिलाडा		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता।
प्रतिवादी —सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :—**07/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी कानाराम पुत्र केसूदास जाति साद निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मुकाम रायचूर कर्नाटक पते का मूल निवासी है। एवं भारतीय नागरीक है तथा प्रतिवादी भूमिधारी है वादी की सहखातेदारी के खेत खसरा सं. 316 रकबा 15.06 बीघा, खसरा सं. 318 रकबा 20.06 बीघा व खसरा सं. 344 रकबा 6 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 41.14 ग्राम भावी (जे.बी.) एवं इसी तरह अन्य खसरा सं. 1921 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 2910 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 02 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भावी (जे.बी.) में आई हुई है। जो वादी की खातेदारी भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के पूर्वजों का लगातार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार की हेसियत से लगातार कब्जा चला आ रहा है। तथा वादी को वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी हल्का पटवारी से ली तो पता चला की वादग्रस्त भूमि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में कानाराम पुत्र श्री केसूदास के नाम से चला आ रहा है, वादी का नाम वादी के पुराने रेकर्ड में दर्ज जमाबंदी में बोलचाल की भाषा एवं सहवन से कानाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी के तमाम शैक्षणिक दस्तावेजात तथा राशन कार्ड, पहचान पत्र विघुत बिल, पानी बिल, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्ड इत्यादि दस्तावेज में प्रार्थी का नाम कानदास अंकन है जो वास्तविक नाम है दस्तावेजात की प्रति साथ संलग्न है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा वादी के अन्य दस्तावेज में वादी कानदास पुत्र श्री केसूदास के नाम से है जो संलग्न है तथा वादी के संयुक्त खातेदारों मे किसी को उजर ऐतराज नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी के अलावा कानाराम पुत्र श्री केसूदास के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। तथा कानदास पुत्र केसूदास व कानाराम पुत्र केसूदास दोनों एक की व्यक्ति है। वादग्रस्त कृषि भूमि में उपरोक्त संयुक्त खातेदार वादी के नाम कानाराम की जगह कानदास पुत्र केसूदास का नाम राजस्व रेकर्ड में करवाया जाना आवश्यक हो गया है। वाद पत्र बाबत दुरूस्त करने का पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

में वादी ने जानकारी होने पर कई बार रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन इसका आज दिन तक किसी प्रकार का सुधार या दुरूस्त नहीं किया गया, और अभी हाल ही तहसीलदार महोदय बिलाडा ने दुरूस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया तब वाद कारण तहसीलदार बिलाडा के मना करने पर पैदा हुआ जो आज दिन तक लगातार जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम कानाराम पुत्र केसूदास का दुरूस्त कर कानदास पुत्र केसूदास को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त भूमि तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के क्षेत्राधिकार का होने से वादी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इसे स्वीकार फरमाया जावे व वादी का नाम कानाराम की जगह कानदास को राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त कर अमल दरामद किया जाने का आदेश न्याय हित में जारी फरमाया जावें, अन्य उचित आदेश जो पक्षकारों के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है वादी ग्राम भावी का मूल निवासी है वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भावी(जे.बी.) में आई हुई है। जिसमें वादी का नाम कानाराम दर्ज है। वादी के पिता केसूदास की फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 545 व जमाबंदी चौसाला संवत 2027 से 2030 में वादी का नाम कानाराम सहखातेदार के साथ दर्ज हुआ जो आज दिन तक चला आ रहा है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज मार्कसीट, राशनकार्ड, पहचानकार्ड इत्यादि प्रस्तत कर अपना नाम कानदास होना बताया। पद सं. 5 से 7 का जवाब कानूनी है। वादी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपना नाम कानाराम के स्थान पर कानदास करवाना चाहता है।
अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है वादी के संयुक्त खातेदारी ख.सं. 318, 344, 5785/316 व स्वयं के खसरा नम्बर 1921 व 2910 ग्राम भावी जाटाबास में दर्ज इन्द्राज कानाराम पुत्र केसूदास के स्थान पर कानदास पुत्र केसूदास किये जाने पर भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पहचान पत्र कानदास पुत्र केसूदास, प्रदर्श 2 यूको बैंक डायरी कानदास पुत्र केसूदास, प्रदर्श 3 राशन कार्ड कानदास पुत्र केसूदास, प्रदर्श 4 पानी का बिल कानदास पुत्र केसूदास, प्रदर्श 4 आयकर विभाग कानदास पुत्र केसूदास, प्रदर्श 5 पहचान पत्र गंगा देवी पत्नी कानदास आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी नाम कानदास पुत्र केसूदास दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम कानाराम पुत्र केसूदास के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम कानदास पुत्र केसूदास की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाम शुद्धि करने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा सं. 316 रकबा 15.06 बीघा, खसरा सं. 318 रकबा 20.06 बीघा व

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा
सत्यमेव जयते

खसरा सं. 344 रकबा 6 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 41.14 ग्राम भावी(जे.बी.) एवं इसी तरह अन्य खसरा सं. 1921 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 2910 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 02 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भावी(जे.बी.) राजस्व रेकर्ड में दर्ज कानाराम पुत्र केसूदास के स्थान पर कानदास पुत्र केसूदास की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

कानाराम पुत्र केसूदास — राजस्थान सरकार जरिये

जाति साद निवासी भावी — तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 14 / 2020

निर्णय दिनांक :– 07/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्दजीत गोयल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा सं. 316 रकबा 15.06 बीघा, खसरा सं. 318 रकबा 20.06 बीघा व खसरा सं. 344 रकबा 6 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 41.14 ग्राम भावी(जे.बी.) एवं इसी तरह अन्य खसरा सं. 1921 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 2910 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 02 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भावी(जे.बी.) राजस्व रेकर्ड में दर्ज कानाराम पुत्र केसूदास के स्थान पर कानदास पुत्र केसूदास की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7/8/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा